न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 12/2019 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 14.11.2019
G.C.M.S. NO. :- 2019/00093

राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री मादू पिता लोबू लुहार निवासी डिण्डोली, तहसील राशमी, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, कपासन बमिसल क्रमांक 05/86 आवंटन दिनांक 16.07.1986

उपस्थितिः 1–श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 08.02.2024

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमिधारी तहसीलदार, राशमी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवंटन नियम, 1970 के तहत विरूद्ध विपक्षी के पेश कर निवेदन किया कि मौजा देपुरिया की बिलानाम आराजी नम्बर 360 रकबा 12.10 बीघा किस्म उसर भूमि में से आराजी नम्बर 360/3

रकबा 4.00 बीघा भूमि का आवंटन विपक्षी को निजी वन विकास हेतु दिनांक 16.07.1986 को किया गया जिसके हाल आराजी नम्बर 572/360 रकबा 4.00 बीघा गैर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कब्जा काश्त नहीं होने, खाली पड़त पडी होने तथा विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने से यह आवंटन निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी को सूचना पत्र तामील हो जाने के बावजूद भी विपक्षी बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुआ। अतः विपक्षी के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है तथा आवंटित भूमि पर कभी भी विपक्षी का कब्जा नहीं रहा एवं मौके पर वर्तमान मे भी विपक्षी का कब्जा नहीं होकर खाली पड़त पड़ी हुई है। अतः आवंटन निरस्त फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा विपक्षी को ग्राम देपुरिया की बिलानाम आराजी संख्या 360 रकबा 12.10 बीघा में से आराजी नम्बर 360/3 किस्म उसर रकबा 4.00 बीघा भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से निजी वन विकास हेतु अकृषि योग्य भूमि का किया गया है। उक्त आवंटन प्रारम्भिक तौर पर 25 वर्ष की कालावधि के लिए किया गया तथा तत्पश्चात् यह आवंटन एक बार 10 वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकरणीय होगा उक्त शर्तों पर

आवंटन किया गया था। लेकिन आवंटन के पश्चात् से उक्त भूमि पर विपक्षी का कभी कब्जा–काश्त नहीं होकर मौके पर खाली/पड़त पड़ी हुई है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का सोमरवालों का खेड़ा के मौका पर्चा ग्राम देपुरिया दिनांक 20.09.2019 से होती है।

पटवार हल्का सोमरवालों का खेड़ा ने अपने मौका पर्चा दिनांक 20.09.2019 में उक्त आवंटित भूमि पर विपक्षी का कब्जा–काश्त नहीं होकर मौके पर खाली/पड़त होना तथा किसी के कब्जे काश्त में नहीं होना बताया है। अर्थात् विपक्षी ने उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात् से आदिनांक तक निजी वन का किसी प्रकार से विकास नहीं किया है।

विपक्षी को उक्त भूमि का आवंटन निजी वन विकास हेतु एक निश्चित कालावधि 25 वर्ष के लिए किया गया था जिसे पुनः एक बार 10 वर्ष के लिए नवीनीकरण कराया जाना था। आवंटन शर्त के अनुसार समयावधि समाप्त होने के पश्चात् भी विपक्षी द्वारा पुनः नवीनीकरण नहीं कराया है और मौके पर उक्त भूमि खाली/पड़त होकर किसी के कब्जे काश्त नहीं है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा आवंटन शर्तों का उल्लघंन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उसको निजी वन विकास हेतु गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है तथा विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है। निष्कर्षतः भूमिधारी तहसीलदार, राशमी, द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को आराजी नम्बर 360 रकबा 12.10 बीघा में से आराजी नम्बर 360/3 रकबा 4.00 बीघा (जिसके नवीन आराजी संख्या 572/360 रकबा 4.00 बीघा) का किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(राकेश कुमार)